न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 215 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 विक्रमदेव उम्र 65 साल पुत्र सागरमल जाति माली निवासी मोहल्ला इलाहयान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हजारी लाल उम्र 40 वर्ष पुत्र दौलतराम जाति माली निवासी सूर्य विहार तहसील व जिला झुंझुनू।
2 ख्यालीराम पूनियां उम्र 60 साल पुत्र नारायण सिंह जाति जाट निवासी हनुतपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3 ओमप्रकाश मोरवाल उम्र 55 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति कुमावत निवासी जाट बोर्डिंग के पास झुंझुनू।
4 परमानन्द उम्र 45 साल पुत्र रामचन्द्र मोरवाल जाति कुमावत निवासी कारूड़िया रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5 नगर परिषद झुंझुनू जरिये सभापति।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी
अधिनियम 1955 बमुकदमा उनवानी विक्रमदेव
बनाम हजारीलाल वगैरह दावा स्थाई निषेधाज्ञा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मु.नं. 2/2012
निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016

उपस्थित

1. श्री रोहिताश अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13-11-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 2/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 4172/2463, 2464,4173/2470, 4174/2471,4175/2461 वाके कस्बा झुंझुनू के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा

LRO
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

का दावा पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण जवाब प्रस्तुत कर वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होना बताकर वाद खारिज करने का निवेदन किया एवं प्रतिदावा पेश किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद एवं प्रतिदावा दोनों खारिज किये है इसके विरूद्व वादी की और से यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय के समय वादी व प्रतिवादी उपस्थित नही थे ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को वाद अदम हाजरी में खारिज करना चाहिए था। विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के विरूद्व वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार कर रखा था अपीलांट को बिना सुने विधिक प्रकिया के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है विवादित भूमि की सीमाज्ञान होकर दो बार नपती हो चुकी है। राजीनामें तहत विभाजन हो चुका है अपीलांट ने जमीन दबा ली है, पूर्व में इन्ही भूमियों के सन्दर्भ में दावा संख्या 101/2010 अपीलांट द्वारा पेश किया गया था जो आदेश 7 नियम 11 में खारिज हो चुका है। यह दावा इनके द्वारा दोबारा पेश किया गया है एक बार दावा खारिज हो जाये तो पुन दावा नही ला सकते यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अपीलांट प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है निस्तारण नही करवाना चाहते है। विचारण न्यायालय में वकीलों ने बहिष्कार कर रखा था तो पक्षकार स्वंय उपस्थित हो सकते थे। विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर पत्रावली पर उपलब्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय करने के लिए न्यायालय सक्षम है विचारण न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर किया गया विधि सम्मत निर्णय है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। जवाब में प्रतिवादी ने कथन किया है कि इस भूमि बाबत दावा संख्या 109/2006 राजीनामें के आधार पर निर्णित हो चुकी है। वादी ने अपने वाद कथन में इस तथ्य को छिपाया है एक बार वाद निर्णित होने के उपरान्त उसी भूमि के सन्दर्भ में तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया विचाराधीन वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत नही होता है यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन, जवाब दावे, प्रतिदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन कर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा दोनों खारिज किये है अपीलांट ने अपने अपील मेमों में गुणावगुण पर कोई कथन नही किया है। न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने कथनों के समर्थन में अपील के स्तर पर प्रस्तुत की है।

इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने ए.आई.आर. 2014 (एस.सी.) पेज 2301 प्रस्तुत कर कथन किया है कि समान वादकरण के आधार पर पूर्व में वाद संख्या 109/2006 राजीनामें के आधार पर निर्णित हो चुका है तो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के अन्तर्गत दुसरा वाद पोषणीय नही है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत में निम्नप्रकार अभिनिर्धारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

" **(A) Civil P.C. (5 of 1908), O.2, R. 2- Second suit on Same cause of action – Bar as to- Has to be specifically pleaded – Being technical plea both plaints have to be examined to identify cause of action.** इस न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित था विचारण न्यायालय ने विधिक बिन्दु पर निर्णय पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने वाद प्रस्तुत करते समय पूर्व में निस्तारित वाद के तथ्य को छिपाया है इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 1801, ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 2431 एवं ए.आई.आर. 2010 पटना पेज 189 में स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य होता है। ऐसी स्थिति में भी अपीलांट का वाद पोषणीय नही था विचारण न्यायालय ने इसे खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

जहां तक प्रतिदावा का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ने प्रतिवादी के विरूद्व प्रतिदावा प्रस्तुत किया है विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट दारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 2009 बोम्बे पेज 133 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि" **Civil P.c. (5 of 1908), O.8, R. 6A- Counter claim- Can be raised by defen- dant before defendant had delivered his defence – Phrase"delivering defence" is with reference to presentation of written statement- Defendant not presenting his written statement but adopting written statement of other defendants – He is entitled to adopt written statements of other defendants – He can, therefore, raise counter claim.** इससे विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिदावा खारिज करने का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

Lavo
मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन कर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज करने के निर्णय को हम विधि सम्मत पाते है एवं उसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13-11-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/18

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर